

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस
मिसल नं.- 57/2022
सरकार बनाम इन्द्रप्रकष पुत्र नारायणराम, जाति ब्राहमण,
निवासी फतेहपुरा
फतेहपुरा

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 28.12.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल इन्द्रप्रकष पुत्र नारायणराम, जाति ब्राहमण, निवासी फतेहपुरा द्वारा रोही मौजा फतेहपुरा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 197 के कुल रकबा 0.50 है. किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.01 है. भूमि पर तारबंदी करके एवं शौचालय बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर होकर प्रत्युत्तर पेश किया जिसमें गैर सायल ने जवाब पेश करने हेतु युक्तियुक्त अवसर चाहा है। चूकि गैर सायल को पूर्व में 08 दिवस का युक्तियुक्त समय दिया जा चुका है। गै.मु. रास्ते के प्रकरण में आंत्यतिक प्रकृति का होने के कारण अधिक समय दिया जाना न्यायहित एवं राजहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। गैर सायल ने अपने प्रत्युत्तर में कही भी अतिक्रमण होने से इंकार भी नहीं किया है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 05 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय-22-23 के शालीक
के द्वारा 24 दिस 05/19
गैर सायल की ओर
03/1/23

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ